

मद क्रमांक 1

छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग कार्यालय के स्थापना व्यय के अन्तर्गत अध्यक्ष, सदस्य के वेतन भत्ते आदि पर ` 60.14 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

अध्यक्ष समाज कल्याण बोर्ड के लिये 01 नग वाहन क्रय पर ` 6.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 6,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग रायपुर कार्यालय के लिये 03 नग ए.सी. क्रय पर ` 0.85 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 85,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग रायपुर हेतु एक इनोवा वाहन क्रय पर राशि ` 10.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

यौन व्यापार में संलिप्त/यौन उत्पीड़ित महिलाओं के पुर्नवास एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था पर ` 30.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

स्वयंसिद्धा परियोजना अंतर्गत ` 2.30 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 2,30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।